

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी 2021 — फाल्गुन 8, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-12/2021/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29-क के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा नगर पालिका परिषद् खैरागढ़, जिला— राजनांदगांव हेतु निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड (अमलीडीह खुर्द)
		20	सिविल लाईन वार्ड (सिविल लाईन/खम्हरिया)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	संत रविदास वार्ड (सोनेसरार)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	04	राजफेमली वार्ड
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	ठाकुर पारा वार्ड
		09	ईतवारी बाजार वार्ड
		18	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	गुरु घासीदास वार्ड (लालपुर)
		12	अमलीपारा वार्ड
6.	महिला वर्ग	01	महात्मा गांधी वार्ड (पिपरिया)
		06	बरेठपारा वार्ड
		08	तुरकारी पारा वार्ड
		17	दाऊचौरा वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 25 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 1-12/2021/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-12/2021/18 दिनांक 25-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 25th February 2021

NOTIFICATION

No. F 1-12/2021/18. — In exercise of the powers conferred by rule 7 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 29-A of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961), the State Government hereby notify the list of reserved ward of Municipal Council Khairagarh, Distt- Rajnandgaon as per the schedule given below :-

SCHEDULE

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Schedule Caste	15	Subhash Chandra Bose ward (Amlidih Khurd)
		20	Civil Line Ward (Civil Line/Khamhariya)
2.	Schedule Caste (Female)	14	Sant Ravidas Ward (Sonesarar)
3.	Schedule Tribe	04	Rajfamily Ward
4.	Other Backward Class	05	Thakur Para Ward
		09	Itwari Bazar Ward
		18	Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward
5.	Other Backward Class (Female)	10	Guru Ghasidas Ward (Lalpur)
		12	Amlipara Ward
6.	Female	01	Mahatma Gandhi Ward (Pipriya)
		06	Bareth para Ward
		08	Turkari para Ward
		17	Dauchaura Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. R. DUBEY, Deputy Secretary.